मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३० सन् २०२२

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, २०२२ है. **संक्षिप्त नाम.**

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में, धारा ३५८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— **मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.**

"३५८. **मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधना .—** जो कोई भी जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है अथवा बांधता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है, तो वह, राज्य सरकार द्वारा विहित जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा, दंडनीय होगा.".

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा २५४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— **मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.**

"२५४. **मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधना .—** जो कोई भी जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है अथवा बांधता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है, तो वह, राज्य सरकार द्वारा विहित एसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा, दंडनीय होगा.".

४. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (क्रमांक ६ सन् २०२२) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ने विभिन्न रिट याचिकाओं और अवमानना याचिका में आवारा पशुओं के जोखिम को नियंत्रित करने हेतु निर्देश जारी किए हैं और राज्य सरकार को भी जुर्माने की राशि को बढ़ाने का निर्देश दिया है.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा ३५८ के उपबंधों के अनुसार जुर्माने की अधिकतम राशि ५०० रुपये है, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत कम है. अत: यथोचित संशोधन प्रस्तावित है, जिससे राज्य सरकार, नियमों द्वारा समय-समय पर जुर्माने की राशि बढ़ाने हेतु समर्थ हो सके.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा २५४ के उपबंधों के अनुसार प्रथम अपराध के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि २५ रुपये है तथा किसी पश्चात्वर्ती अपराध हेतु अधिकतम जुर्माना ५० रुपये है, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत कम है. अत: यथोचित संशोधन प्रस्तावित है, जिससे कि राज्य सरकार, नियमों द्वारा समय-समय पर जुर्माने की राशि बढ़ाने हेतु समर्थ हो सके.

४. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (क्रमांक ६ सन् २०२२) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

५. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १९ दिसम्बर, २०२२.

भूपेन्द्र सिंह
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ एवं ३ द्वारा मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधने के संबंध में जुर्माना विहित किये जाने संबंधी; —

नियम बनाये जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ने विभिन्न रिट याचिकाओं और अवमानना याचिका में आवारा पशुओं के जोखिम को नियंत्रित करने और राज्य सरकार को भी जुर्माने की राशि को बढ़ाने का निर्देश दिया था. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश एवं जोखिम को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था, कि अधिनियम में संशोधन किया जाए.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (क्रमांक ६ सन् २०२२) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६

* * * * *

धारा ३५८- घोड़ा या अन्य पशु को खुला छोड़ना- कोई भी जो इच्छापूर्वक या प्रमादपूर्वक किसी घोड़े या अन्य पशु को खुला छोड़ेगा, जिससे किसी व्यक्ति को चोट, संकट, भय या उद्वेजना या संपत्ति को क्षति पहुंचें या प्रमादपूर्वक किसी घोड़े या अन्य पशु द्वारा किसी व्यक्ति को चोट, संकट, भय या उद्वेजना या संपत्ति को क्षति पहुंचाने देगा, ऐसे अर्थदंड से दंडनीय होगा जो (पांच सौ रुपये) तक हो सकता है.

* * * * *

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१

धारा २५४- पशुओं को बांधा जाना आदि- जो कोई किसी सार्वजनिक पथ या स्थान पर किन्हीं पशुओं या अन्य जीवजन्तुओं को इस प्रकार बांधेगा या अपने कुटुम्ब या गृहस्थी के किसी सदस्य से उन्हें इस प्रकार बंधवाएगा या बांधे जाने देगा, जिससे वहां के सार्वजनिक यातायात में बाधा हो जाए या ऐसा यातायात संकटापन्न हो जाए या उससे न्यूसेंस कारित होता है या जो बिना रखवाले के ऐसे जीव जन्तुओं को आवारा भटकाए या आवारा भटकने दे, वह दोषसिद्धि पर-

(क) प्रथम अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस रुपये तक का हो सकेगा.

(ख) किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो पचास रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.